



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-318

New Delhi: 10.05.2021

श्री फुरकान अहमद

पुत्र श्री इरफान

निवासी- ठेला रोड, सुभाष चौक देवबंद

तहसील- देवबंद, जिला- सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

मोबाइल-8218947608

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 17.04.2021, जो मुख्य महाप्रबंधक/ मेरठ, के कार्यालय में दिनांक 22.04.2021 को एवं इस कार्यालय में दिनांक 06.05.2021 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है;


सुश्री आर० पी० छिबबर

समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,

5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,

प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 01 पृष्ठ


10.5.2021
(एस. के. राय)

उप. महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)

011-23454707



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.

मान्य सचकार (रेल मंत्रालय) का उपकरण

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

Office: 3rd Floor, Shri Bala Complex, (Opp. Subharti University), Ved

Vyaspuri, By Pass Road, NH-58, Meerut-250002, Telefax: 121-2439040

पत्रांक-एम0टी0सी0 / ई0एन0 / आर0टी0आई0 / भाग-VIII

दिनांक : 01.05.2021

डिप्टी जी.एम/एडमिन (पी.आई.ओ.)

डी0एफ0सी0सी0आई0एल0

नई दिल्ली।


विषय:- जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आवेदनकर्ता श्री फुरकान अहमद पुत्र इरफान अहमद, ठेला रोड़ सुभाष चौक, दैवबन्द, सहारनपुर का पत्र दिनांक 17.04.2021 (प्राप्ति दिनांक 22.04.2021)।

संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें फुरकान अहमद पुत्र इरफान अहमद द्वारा जनपद सहारनपुर के ग्राम नूरपुर बैरून हदूद के खसरा सं0 373म का पुनर्वास व पुर्नस्थापन (आर0 एण्ड आर0) के अन्तर्गत अनुदान की राशि के भुगतान की मांग की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन निति के अन्तर्गत देय लाभ के निर्धारण के लिए माईक्रोप्लान तैयार किया जाना अपेक्षित है। माईक्रोप्लान की स्वीकृति होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कृषकों को पुनर्वास व पुर्नस्थापन (आर0 एण्ड आर0) का भुगतान किया जाना संभव है।

संलग्नक:- आवेदनकर्ता के प्रार्थना पत्र की छाया प्रति।


(महावीर सिंह)
उप.परियोजना प्रबन्धक / विद्युत / पी.आई.ओ.
डी.एफ.सी.सी.आई.एल., मेरठ।